BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL BENCH BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 64/2020

IN THE MATTER OF:-

AADHYATMIK KSHTERA PRAYAVARAN SANSASTHAN-----APPLICANT

//VERSUS//

STATE OF RAJASTHAN AND ORS----------RESPONDENTS

FACTUAL REPORT FILED BY THE DEPUTY FOREST CONSERVATOR JODHPUR IN COMPLIANCE OF THE ORDER PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL DATED 26/05/2022

माननीय
राष्टीय हरित अधिकरण,
भोपाल (मध्य प्रदेश)

के समक्ष,

प्रकरण संख्या – ओ. ए. 64/2020

प्रार्थी– आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी – राजस्थान राज्य एवं अन्य

अनुपालना रिपोर्ट

महोदय ,

उपर्युक्त प्रकरण में निवेदन है कि माननीय अधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.05.2022. में प्रदत निर्देशों की अनुपालना का विवरण निम्नानुसार है:–

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण गोदावरमन बनाम भारत संघ में प्रदत आदेश दिनांक 12.12.1996 की अनुपालना सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जा रही है।
2. वनखण्ड वड़ाभाखर के मौजा गैंवा के खसरा संख्या 885/2 की 27 वीघा 2 विस्वा वनभूमि का राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद कर दिया गया है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है एवं इस भूमि की सुरक्षा एवं सीमांकन कार्यवाही की जा रही है।
3. वनखण्ड वड़ाभाखर के राजस्व मौजा गैवा का प्रमाणित नक्शा वर्तमान में न तो राजस्व विभाग के पास उपलब्ध है तथा न ही वन विभाग के पास उपलब्ध है। इस कार्यालय में उपलब्ध अप्रमाणित नक्शें की सहायता से किए गए मौका निरीक्षण में प्रथम दृष्टतया एक शवदाह गृह का कुछ भाग (0.11 हैक्टेयर) वनक्षेत्र में आना पाया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर ने पत्रांक 501 दिनांक 14.07.2022 के जरिए आयुक्त नगर निगम, दक्षिण, जोधपुर को नोटिस जारी कर दिया गया है। आयुक्त नगर निगम, दक्षिण, जोधपुर से प्रत्युत्तर प्राप्त होना अपेक्षित है। इस शवदाह गृह का कोई भी भाग वनभूमि में आना प्रमाणित पाया जाता है तो आयुक्त, नगर निगम, दक्षिण, जोधपुर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
4. उक्त वनभूमि में इस संरचना के अलावा कोई भी अतिक्रमण कारित नहीं पाया गया है तथा इस वनभूमि में किसी भी प्रकार के वन अपराध एव अतिक्रमणों की रोकथाम के लिए वन अमले द्वारा सतत गश्त की जा रही है।

अनुपालना रिपोर्ट उपर्युक्तानुसार आप श्रीमान को सादर प्रस्तुत है।

उप वन संरक्षक,
जोधपुर

C:\Users\Admin\Documents\2022\vidhi 2022.docx

Scanned with CamScanner

[illegible]

आंशिक प्रतिलिपि

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]							
1	2	3	4		3	5	7	
[illegible]	221	[illegible]	[illegible]		28([illegible])	4.08	[illegible] IV	4.08
					28([illegible])	2	[illegible] IV	2
					33	109		
					[illegible]	12	[illegible]	12
					78	14.17	[illegible]	14.17
					78([illegible])	9	[illegible]	9
					80	14.08	[illegible]	14.08
					81	602.03	[illegible]	502.03
					81/1	14.01	[illegible]	14.01
					82	320	[illegible]	320
					82/1	9.04	[illegible]	9.04
					82/2	2.10	[illegible]	2.10
					83	333.19	[illegible]	333.19
					83/1	0.08	[illegible]	0.08
					84	171.16	[illegible]	171.16
					84/1	18	[illegible]	18
					697	2.03	[illegible]	2.03
					658	3.04	[illegible] IV	3.04
					658/1	2	[illegible] IV	2
					658/2	0.02	[illegible]	0.02
					659/1	0.01	[illegible]	0.01
					659/2	0.07	[illegible]	0.07
					714	46.03	[illegible]	46.03
					714/1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					715	3.13	[illegible] IV	3.13
					715/1	0.02	[illegible]	0.02
					715/2	0.13	[illegible]	0.13
					715/3	1.13	[illegible] IV	1.13
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी

पटवार मंडल: गैता
तहसील: [illegible]
संवत: 2039 - 2052
[illegible]

ग्राम: गैता
जिला: [illegible]
सत्यापित संवत: 2039

[illegible]
दिनांक: 12/5/2004

[illegible]

खेवट (खाते) नम्बर	खतौनी नम्बर	कृषक का नाम	काश्तकार का नाम, जिस व्यक्ति या किस्म ... कृषि जोत	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि का किस्म		सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	...	...	विवरण
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
				821	359-01	गै.मु.चाह	359-01						
				823	70-11	गै.मु.चाह	70-11						
				825	15	गै.मु.चाह	15						
				826	5	गै.मु.[illegible]	5						
				827	105-05	गै.मु.चाह	105-05						
				829	3-01	गै.मु.[illegible]	3-01						
				830	5-18	गै.मु.चाह	5-18						
				832	13-12	गै.मु.[illegible]	13-12						
				834	53-08	गै.मु.[illegible]	53-08						
				835	11-10	गै.मु.[illegible]	11-10						
				836	1-18	गै.मु.[illegible]	1-18						
				837	107-11	गै.मु.[illegible]	107-11						
				838	1223-03	गै.मु.चाह	1223-03						
				839	2210	गै.मु.चाह	2210						
				840	14-03	गै.मु.चाह	14-03						
				841	33-16	गै.मु.चाह	33-16						
				843	157-17	गै.मु.चाह	157-17						
				844	3-04	गै.मु.[illegible]	3-04						
				845	0-12	गै.मु.[illegible]	0-12						
				846	4-13	गै.मु.[illegible]	4-13						
				847	1-07	गै.मु.[illegible]	1-07						
				848	5-11	गै.मु.[illegible]	5-11						
				849	4-17	गै.मु.[illegible]	4-17						
				850	3-01	गै.मु.[illegible]	3-01						
				851	12-03	गै.मु.[illegible]	12-03						
				853	538-05	गै.मु.चाह	538-05						
				855	2-08	बारानी IV	2-08						
				855/1	0-05	गै.मु.[illegible]	0-05						
				856	1-18	गै.मु.[illegible]	1-18						
				152	1684-11	गै.मु.चाह	1684-11						
				247	1645-15	गै.मु.चाह	1645-15						
				882/2/1	27-03	गै.मु.[illegible]	27-03						
				854	494-18	गै.मु.चाह	494-18						
				885	553-16	गै.मु.चाह	553-16						
				886	781-17	गै.मु.चाह	781-17						

शुद्धिपत्र स. 08 दिनांक 15-03-22 की पालना में ख.नं 882/2/1 के स्थान पर ख.नं 885/2/1 रकबा 27-03 बिस्वा ओरण दर्ज किया। [illegible]

[illegible] 953 मे 200 बीघा [illegible]
871 मे 22-15 बीघा [illegible]
384 मे 4-10 बीघा [illegible]
[illegible]

[illegible] 833 मे [illegible] 200 [illegible]
[illegible] 2016 [illegible]
884 मे [illegible]
[illegible]

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, मण्डोर वनमण्डल जोधपुर

क्रमांक / एफ / तकनीकी / दिनांक :–

श्रीमान् आयुक्त, महोदय
नगर निगम (दक्षिण), जोधपुर

नोटिस

(अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 की अवमानना करने के क्रम में)

विषय :– केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना आप द्वारा अधिसूचित वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करवाये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 की अवमानना करने के क्रम मे।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के अधीनस्थ निम्नांकित अधिसूचित वन क्षेत्र मे आपके द्वारा निम्न विवरणानुसार गैर वानिकीय कार्य करवाया जा रहा है।

क्र.सं.	कार्यस्थल जानकारी बिन्दु	विवरण
1.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड बड़ाभाखर
2.	राजस्व मौजा व खसरा नम्बर	मौजा गेवा खसरा न. 885/2
3.	कार्य का विवरण	वनभूमि मे बगैर सक्षम स्वीकृति के शवदाह गृह बनाना।

दिनांक 25.10.80 से राज्य मे वन संरक्षण अधिनियमन 1980 प्रभावशील है। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत किसी भी अधिसूचित वनभूमि में गैर वानिकीय कार्य करवाये जाने से पूर्व अनारक्षण प्रस्ताव के मार्फत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रकरण गोदावरमन बनाम भारत संघ के प्रकरण में प्रदत निर्णय दिनांक 12.12.96 को यह उद्धरित किया है कि किसी भी अधिसूचित वनभूमि मे गैर वानिकीय कार्य करवाये जाने से पूर्व अनारक्षण प्रस्ताव के मार्फत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। इस कार्य से राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम 2012 की धारा का भी उल्लघन हो रहा है। यदि इस नोटिस के विरूद्ध आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते है तो, विधि सम्मत दस्तावेजातों के साथ कार्यालय समक्ष मे उपस्थित होकर अपना पक्ष 03 दिवस में प्रस्तुत कर सकते है या इस गैर वानिकीय कार्य के संबंध मे अनारक्षण प्रस्ताव के जरिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करावे। यदि यह कार्य आप द्वारा नहीं करवाया गया है तो भी इस कार्यालय को सूचित करें

शुभेच्छु

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मण्डोर

क्रमांक: एफ( ) सम/ 502 दिनांक: 14/3/2022

प्रतिलिपि :– 1. श्रीमान् उप वन संरक्षक, जोधपुर की सेवा मे प्रस्तुत कर निवेदन है कि आप श्रीमान् अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही कराने का श्रम करावे।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मण्डोर

Scanned with CamScanner